18.5.18 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन
में अटल सेवा केन्द्र ग्रा.पं.
सणावड़ा मालाणी में पेश हुई।
पक्षकारान को वास्ते लोक
अदालत समझाइश/नोटिस बाद
तामील प्राप्त हुए। प्रार्थी
ख.5 मय वकील उपस्थित/
विपक्षीगण बावजूद नोटिस
तामील अनुपस्थित। प्रार्थी
पक्ष की बहस सुनी गयी।
प्रार्थी का आवेदन स्वीकार
किया जाकर विस्तृत आदेश
पृथक से लिखवाया जाकर
मन्शे आम सुनाया गया और
शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल शुदा होकर
दाखिल दफ्तर हो।

पंचायत...

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र सणपा मानजी)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.09/2018

प्रार्थीगण

1.हरीराम पुत्र मोहनराम
2.सोमाराम पुत्र मोहनराम
3.श्रीमति जमू पत्नि मोहनराम
4.हंजाराम पुत्र मोटाराम
5.चम्पालाल पुत्र मोटाराम
6.मिश्रीमल पुत्र मोटाराम
जाति कुम्हार निवासी भाटियों का डेर (सणपा मानजी)
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1.देवाराम पुत्र गुणेशाराम जाति राजपूत
2.नरसाराम पुत्र पूनमाराम जाति राजपूत
3.भंवराराम पुत्र खेताराम जाति कुम्हार
4.भंवराराम पुत्र वालाराम जाति कुम्हार
5.पूनमाराम पुत्र लच्छाराम जाति कुम्हार
6.तेजसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत
निवासी भाटियों का डेर (सणपा मानजी)
तहसील सिणधरी व ज़िला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री बीजाराम गोदारा,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी स.1 से 6 एकरतफा।

आदेश

दिनांक– 18.5.18

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम भाटियों का डेर (सणपा मानजी) पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 296,447 कुल रकबा 24–03 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा ता है! इस कारण प्रार्थीगण द्वारा भूमि ग्राम भाटियों का डेर (सणपा मानजी) पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 296,447 कुल रकबा 24–03 बीधा बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 20.2.2018 को जारी किये गये थे। जो तामीली श्रेणी में है,एवं विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम भाटियों का डेर (सणपा मानजी) पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 296,447 कुल रकबा 24–03 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम भाटियों का डेर (सणपा मानजी) पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 296,447 कुल रकबा 24–034 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम भाटियों का डेर (सणपा मानजी) पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 296,447 कुल रकबा 24–03 बीधा भूमि का प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहता है,विप्राथीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

में कोई आपति नहीं होगीं। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में ई आपति प्रतीत नहीं होती है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थीगण का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम भाटियों का डेर (सणपा मानजी) पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 296,447 कुल रकबा 24–03 बीधा भूमि के सबंध में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करे। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थी द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 18-05-18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner